जिलाः—कटिहार।

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार।

उपस्थिति— विष्णुदेव उपाध्याय
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कटिहार।

भरण—पोषण वाद संख्या—01/2018

कटिहार दिनांक 23 वी0 सितम्बर 2019

एरम प्रवीण————————————————आवेदिका

बनाम्

अबु फैसल——————————————————विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा—125 दं0प्र0सं0

आवेदिका की ओर से – श्रीमती रनिका झा, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी की ओर से – कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

1. प्रस्तुत आवेदन धारा 125 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदिका एरम प्रवीण ने अपने भरण—पोषण हेतु अपने पति सह—विपक्षी अबु फैसल के विरुद्ध संस्थित की है।

2. संक्षेप में आवेदिका एरम प्रवीण का मामला उसके आवेदन के अनुसार यह है कि आवेदिका की शादी विपक्षी के साथ मुस्लिम रीति—रिवाज के अनुसार दिनांक 12.08.2015 को हुई है। जिसमें पचास हजार सात सौ छियासी रुपया देन—मोहर के साथ तय हुआ था। शादी में आवेदिका के पिता ने उपहार स्वरुप दो लाख रुपया का जेवरात और फनीर्चर लगभग डेढ़ लाख रुपया का दिया था। शादी के बाद आवेदिका अपने ससुराल जहाँ उसका स्वागत किया गया और आवेदिका अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने लगी। शादी के एक महीना के बाद विपक्षी सौदिया अरब काम करने चला गया। विपक्षी के चले जाने के बाद आवेदिका का देवर अबु फैजी उर्फ बाबू और ननद तलहत प्रवीण उर्फ रुबी और उसके पति कमल राही के बहकावे में आकर दहेज के रुप में दो लाख रुपया की मॉग आवेदिका से करने लगे और भद्दी—भद्दी गालियॉ और प्रताड़ित करने लगे। मॉग पुरा नहीं होने पर वे लोग आवेदिका को मानसिक और शारीरिक रुप से प्रताड़ित करने लगे और जब आवेदिका मॉग की बात विपक्षी से साझा किया तो विपक्षी भी उनलोगों का पक्ष लेने

23/9/19

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

लगा। जब आवेदिका एक महीना बिता ली तो विपक्षी ने आवेदिका से कहा कि वह उसके साथ रोजितपूर कटिहार अपनी बहन के यहाँ चलने को कहा और जब विपक्षी आवेदिका और आवेदिका के सास–ससूर और पति चार पहिया वाहन से कटिहार रोजितपूर के लिए चले तो वाहन सुपौल में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। जिसमें आवेदिका के सास–ससूर का देहांत हो गया और पति को सिर पर चोट आयी और आवेदिका के रीढ़ की हड्डी टुट गयी। फिर आवेदिका को उसके मायके भेज दिया गया। आवेदिका के पिता ने आवेदिका का ईलाज करवाया जिस ईलाज का सारा खर्च आवेदिका के पिता ने वहन किया। इस कलह के कारण बात तलाक तक पहूँच गयी लेकिन विपक्षी तलाक के लिए सहमत नहीं हुआ। अन्ततः आवेदिका ने दहेज प्रताड़ना और घरेलु हिंसा का मुकद्मा विपक्षी पर कर दिया। जो वर्तमान में एस0डी0जे0एम0 कटिहार के न्यायालय में लंबित है। सगे संबधियों के हस्तक्षेप से दोनों पक्षकारों के बीच खुला मार्च 2017 में हुआ लेकिन खुला के बावजुद भी विपक्षी आवेदिका का भरण पोषण नहीं कर रहा है। आवेदिका अपने माता–पिता के साथ रह रही है। आवेदिका के आमदनी का कोई जरिया नहीं है। वही विपक्षी अबु फैसल बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता है विपक्षी का घर भाड़ा पर भी लगा हुआ है और विपक्षी तम्बाखु और खेतीबाड़ी का काम करता है। विपक्षी जानबुझकर आवेदिका का भरण पोषण नहीं कर रहा है जबकि आवेदिका विपक्षी की वैध पत्नी है और इनदोनों के बीच खुला भी हो चुका है इसके बावजूद भी खुला–शुदा पत्नी को भी भरण पोषण की राशि मुहैया करानी चाहिए जब तक वह दुसरी शादी कर न लें। विपक्षी अबु फैसल को पचास हजार रुपया प्रतिमाह की आमदनी है। आवेदिका ने अपने भरण पोषण आवेदन में निवेदन किया है कि उसे विपक्षी द्वारा बीस हजार रुपया प्रतिमाह विपक्षी द्वारा भरण पोषण की राशि दिलवायी जाए।

Maintenance Case No. 01/2018

3. उक्त वाद प्रस्तुत करने के बाद, नजारत के द्वारा एवं पंजीकृत पोस्ट द्वारा विपक्षी अबु फैसल का उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु विपक्षी अबु फैसल पर नोटिस दिनांक 26.02.2018 को निर्गत किया गया। इस न्यायालय द्वारा भेजे गये पंजीकृत पोस्ट का तामिला प्राप्त हुआ जो पोस्टल डिपॉटमेन्ट के ट्रैकिंग कंसाईनमेन्ट से प्राप्त हुआ जिससे प्रतीत होता है, कि विपक्षी को इस मुकद्में की जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुऐ। इसलिए इस मुकद्मा को एकपक्षीय कार्यवाही के लिये दिनांक 12.10.2018 को नियत किया

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

जाता है तथा दिनांक 05.11.2018 को अभिलेख एकपक्षीय साक्ष्य हेतु रखा जाता है।

4. आवेदिका एरम प्रवीण द्वारा इस मुकद्में में अपने भरण–पोषण के आवेदन के समर्थन में चार गवाहों की गवाही करवायी गई है। इसमें आवेदिका साक्षी संख्या–01 अबु फैजल, आवेदिका साक्षी संख्या–02 फिरोज आलम, आवेदिका साक्षी संख्या–03 एरम प्रवीण (स्वंय आवेदिका) एवं आवेदिका साक्षी संख्या–04 फैयाज आलम की गवाही करवायी गई।

5. विचारण का बिन्दु यह है, कि क्या आवेदिका एरम प्रवीण, विपक्षी अबु फैसल (पति) से भरण–पोषण पाने का अधिकार रखती है, या नहीं और अगर रखती है, तो भरण–पोषण की क्या राशि होनी चाहिए, यही विचारण का मुख्य बिन्दु है ?

विनिश्चय

6. आवेदिका एरम प्रवीण ने अपने भरण–पोषण के आवेदन के समर्थन में जो चार गवाहों की गवाही करवायी है। इसमें आवेदिका साक्षी संख्या–03 एरम प्रवीण, जो इस मुकद्में की आवेदिका है। इनका साक्ष्य को सर्वप्रथम अवलोकन करना उचित प्रतीत होता है।

आवेदिका साक्षी संख्या–03 एरम प्रवीण जो इस मुकद्मा की आवेदिका है, ने अपने परीक्षण में बतायी है, कि मेरा नाम एरम परवीन है। मै इस मुकद्में की आवेदिका हुँ। मैने यह मुकद्मा अपने पति अबु फैसल पर अपने भरण पोषण भत्ता के लिए किया है। मेरी शादी अबु फैसल के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 12 अगस्त 2015 को हुई है। शादी में पचास हजार सात सौ छियासी देन–मोहर दिया गया था, और दो लाख रुपया का जेवरात और डेढ़ लाख रुपया का फर्नीचर मेरे पति अबु फैसल को दिया गया था। शादी के बाद मै अपने ससुराल गई और लगभग दो महीना तक ठीक से अपने ससुराल में रही। फिर मेरे पति अबु फैसल दो महीने के बाद सौदिया अरब चले गये। इस बीच मुझे मेरे सास–ससुर, देवर अबु फैजी, ननद तलत परवीन, नंदोषी कमाल राही सभी मेरे साथ मारपीट करने लगे और मुझसे दो लाख रुपया की मॉग करने लगे। यह बात मैने अपने पति को टेलिफोन पर बताया, तो मेरे पति अबु फैसल ने कहा की मेरे घर वाले जैसा कहते है, वैसा ही करो। जब मेरे पति अबु फैसल आठ महीना बाद सौदिया अरब से वापस आये, तो मैने सारी बातें अपने पति को बताया, लेकिन वह मेरी बातों को गलत

Maintenance Case No. 01/2018

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

माने और कहा की जैसा मेरे घर वाले कहते है, वैसा ही करो। फिर एक दिन मुज्जफरपुर से रोजितपुर, कटिहार आने के कम में सुपौल में कार का दुंघटना दिनांक 01.05.2016 को हो गया, कार में मै, मेरे पति अबु फैसल मेरे सास–ससुर थे, दुंघटना में मेरे सास–ससुर का देहांत हो गया, मेरे पति को सिर पर चोट आई और मेरे कमर का हड्डी भी टुट गयी। मेरे पति ने मेरा ईलाज तक नहीं करवाया, और मेरा ईलाज मेरे पिता ने करवाया। फिर मेरे पति ने मुझे माईके के पास दिनांक 29.06.2016 को रोड पर लाकर छोड़ दिया। छोड़ने के कम में भी मेरे पति ने मुझसे दो लाख रुपया की मॉग किया था। पति के द्वारा मुझे मेरे माईके में छोड़ने के बाद से मेरे पति मुझे कभी देखने तक नहीं आये है और न ही कोई खाना खर्चा इत्यादि दे रहे है। मुझे इस शादी से कोई बच्चा नहीं है। इस गवाह का आगे कहना है कि मेरे पति अबु फैसल बिजली विभाग में ठेकेदारी करते है, पति ऑन–लाईन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी चलाते है। पति को खेतीबाड़ी है तथा पक्का का मकान भी है। सभी श्रोतो से मेरे पति को पचास हजार रुपया प्रतिमाह की आमदनी है। मुझे अपने ईलाज और भरण पोषण के लिए बीस से पच्चीस हजार रुपया प्रतिमाह पति द्वारा मिल जाए तो मेरा भरण पोषण हो सकता है। मुझे आमदनी का कोई श्रोत नहीं है। न्यायालय द्वारा पुछे गये प्रश्न के उत्तर में इस गवाह का कहना है कि उक्त मकान पति अबु फैसल के नाम से ही है, पति के नाम से दुसरी जगह भी मकान मुजफ्फरपुर में है, और दोनों मकान किराये पर लगा हुआ है। इस बात की जानकारी मेरे पति अबु फैसल के भाई अबु फजल से पता चला, तथा मुझे व्यक्तिगत भी जानकारी है। ऑन–लाईन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी की आमदनी के बारे में भी मुझे अबु फैसल के भाई अबु फजल ने ही बताया था। पति के आमदनी के बारे में मैने कागजात दाखिल किया है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। मै विगत अढाई वर्ष से अपने पिता के साथ रह रही हुँ। पति अबु फैसल ने दुसरी शादी कर लिया है।

7. आवेदिका साक्षी संख्या–01 अबु फैजल, ने अपने परीक्षण के दौरान बताया कि इस मुकदमा के दोनों पक्षो को मै जानता हुँ। आवेदिका एरम परवीन की शादी मेरे छोटे भाई अबु फैसल के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार 12.08. 2015 को हुई है। यह शादी देन–मोहर पचास हजार सात सौ छियासी रुपाया में तय हुआ था। शादी के समय एरम परवीन के पिता ने उपहार स्वरुप दो लाख रुपया के जेवरात और लगभग डेढ़ लाख रुपया का फर्निचर दिया गया

Maintenance Case No. 01/2018

23/9/19

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

web copy civil court katihar

था। शादी के बाद एरम परवीन अपने ससुराल गई और लगभग एक महीना अपने पति से साथ रही तथा लगभग दस महीना तक अपने ससुराल में रही। फिर मेरा छोटा भाई अबु फैसल सौऊदी अरब चला गया जहाँ वह कम्प्युटर हार्डवेयर इंजीनियर का काम करता था, ठीक शादी के एक महीना के बाद अपनी पत्नी एरम परवीन को छोड़कर चला गया। अबु फैसल का सबसे छोटा भाई अबु फैजी उर्फ बाबु जो अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है हमेशा एरम परवीन को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करता था, और जब बात नहीं बनी तो अबु फैजी उर्फ बाबु अपनी बहन तलत सुलताना उर्फ रुबी और बहनोई कमाल राही को बुलाया और साथ में प्रताड़ित करने लगा। जब इसकी सुचना एरम परवीन ने अपने पति को टेलिफोन से दिया लेकिन पति अबु फैसल ने कहा की अगर अबु फैजी उर्फ बाबु दो लाख रुपया की मॉंग कर रहा है तो दे दो। सौदिया से लौटने के बाद अबु फैसल भी एरम परवीन को प्रताड़ित करने लगा। फिर 02.05.2016 को कार दुर्घटना में एरम परवीन की रीढ़ की हड्डी टुट गई, और अबु फैसल के माता–पिता की मृत्यु उस कार दुर्घटना में हो गयी। फिर एरम परवीन को उसके माईके भेज दिया गया और एरम परवीन का सारा ईलाज एरम परवीन के माता–पिता ने किया। फिर मामला तलाक के लिए आया और आपसी सहमति के आधार पर भी तलाक का बात हुआ लेकिन अबु फैसल इस बात को नहीं माना। तब जाकर यह मुकद्मा दर्ज करवाया गया। फिर दिनांक 29.06.2016 को एरम परवीन को सड़क पर अबु फैसल और बहनोई कमाल राही छोड़कर चले गये। तब फिर एरम परवीन ने क्रिमिनल केस जी0आर0 2300/16 दर्ज करवाया जो वर्तमान में एस0डी0जे0एम0 कटिहार के न्यायालय में लंबित है। लेकिन मुकद्मा के बाद भी समझौता नहीं हुआ। वर्तमान में एरम परवीन अपने माता–पिता के साथ अपने माईके में रह रही है। पति के द्वारा एरम परवीन को भगाने के बाद से विपक्षी अबु फैसल के द्वारा किसी भी प्रकार का भरण पोषण भत्ता एरम परवीन को नहीं मिल रहा है। एरम परवीन वर्तमान में कोई काम नहीं कर रही है। एरम परवीन को अपने ईलाज में काफी दिक्कत हो रही है। विपक्षी अबु फैसल को प्रत्येक महीना पचास हजार रुपया प्रतिमाह से अधिक की आमदनी है। अगर एरम परवीन को बीस से पच्चीस हजार रुपया प्रतिमाह मिल जाए तो एरम परवीन का भरण पोषण एवं ईलाज हो सकता है। न्यायालय द्वारा पुछे गये प्रश्न के उत्तर में इस गवाह का कहना है कि विपक्षी अबु फैसल मेरा

(5)
23/9/19

कटिहार

Scanned by CamScanner

अपना भाई है। वर्तमान में अबु फैसल मुजफ्फरपुर में रहता है। अबु फैसल को मुजफ्फरपुर में व्यवसाय करता है। अबु फैसल के आमदनी के बारे में लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट बनाकर मै दाखिल करुँगा। अबु फैसल ने दुसरी शादी दो महीना पूर्व कर लिया है और वह शारीरिक रुप से स्वस्थ है। अबु फैसल मेरा भाई मुझसे अलग रहता है एवं मेरा अबु फैसल से मेरा किसी भी प्रकार का कोई मुकद्मा नहीं है। चुकि अबु फेसल, एरम परवीन को प्रताड़ित करता था इसलिए मै अपने भाई अबु फैसल का साथ छोड़ दिया हुँ। दिनाक 29.06.2016 से एरम परवीन अपने माईके में रह रही है। एरम परवीन को किसी भी न्यायालय से किसी भी प्रकार का भरण पोषण राशि नही मिल रहा है। विपक्षी अबु फैसल एरम परवीन की शादी भी होने नहीं दे रहा है। जहाँ भी एरम परवीन की शादी लगती है विपक्षी अबु फैसल लड़के वालो को भड़का देता है और एरम परवीन को जान से मारने की धमकी भी देता है।

8. आवेदिका साक्षी संख्या–02 फिरोज आलम ने अपने परीक्षण के दौरान बताया कि आवेदिका एरम परवीन मेरी बेटी है। आवेदिका एरम परवीन की शादी विपक्षी सह पति अबु फैसल के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 12.08.2015 को हुई है। शादी में देन मोहर पचास हजार सात सौ छियासी रुपया दिया गया था। शादी में उपहार स्वरुप दो लाख रुपया का जेवरात और डेढ़ लाख रुपया का फनिर्चर इत्यादि एरम परवीन ओर अबु फैसल को दिया गया था। शादी के बाद एरम परवीन सभी उपहार के साथ अपने ससुराल गयी और लगभग दो महीना तक ठीक से रही। फिर विपक्षी अबु फैसल सौदी अरब चले गये। अबु फैसल सौदी अरब में प्राईवेट कम्पनी में सॉफटवेयर इंजीनीयर के पद पर नौकरी करते थे। अबु फैसल के जाने के बाद अबु फैसल का छोटा भाई अबु फैजी मेरी बेटी एरम परवीन के साथ मारपीट करता था और दहेज के रुप में दो लाख रुपया की मॉग करता था। मॉग को मै पुरा नहीं कर पाया, तो विपक्षी का छोटा भाई, अबु फैसल की बहन तलहत सुलताना उर्फ तलहत परवीन और कमाल राही ने मिलकर मेरी बेटी एरम परवीन के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने लगे। फिर मेरी बेटी एरम परवीन ने अबु फैसल को सौदी अरब फोन किया, तो अबु फैसल ने कहा की मेरे घर वालें जो भी कहते है, तुम उनकी बातों को मानो। फिर अबु फैसल सात–आठ महीना के बाद सौदी अरब से वापस आया, तो अबु फैसल भी अपने घर वालों के साथ मिलकर प्रताड़ित करने लगा और मारपीट करने लगा और पैसे की मॉग करने लगा।

Maintenance Case No. 01/2018

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

Maintenance Case No. 01/2018

फिर अबु फैसल अपने माता–पिता और आवेदिका एरम परवीन को लेकर मुज्फफरपुर से कटिहार रोजितपुर के लिए चला और एरम परवीन को कहा की मै तुम्हें तुम्हारे माता–पिता से मिलवा दुगॉ। लेकिन सुपौल में कार का दुरर्घटना हो गया और अबु फैसल के माता–पिता की मुत्यु हो गयी, दुर्घटना में आवेदिका एरम परवीन की रीढ़ की हड्डी टुट गयी और विपक्षी अबु फैसल को छोटी–मोटी चोट लगी। दुर्घटना के बाद अबु फैसल ने मेरी बेटी एरम परवीन का ईलाज नहीं करवा, तो मैने अपनी बेटी एरम परवीन का ईलाज करवाया। फिर विपक्षी अबु फैसल ने मेरी बेटी एरम परवीन को तलाक का धमकी दिया। इस बीच मेरी बेटी एरम परवीन ने एस0डी0जे0एम0, कटिहार के यहॉ मुकद्मा दर्ज किया जो वर्तमान में लंबित है। इसी सब कारण से मेरी बेटी एरम परवीन ने खुला तलाक लिया। इस गवाह का आगे कहना है कि जबकि विपक्षी अबु फैसल इलेक्ट्रिक विभाग में प्राईवेट ठेकेदार है। विपक्षी ऑन लाईन कम्पनी भी चलाता है। विपक्षी को खेतीबाड़ी भी है। विपक्षी को तीन मकान का भाड़ा भी मिलता है। सभी श्रोतो से विपक्षी अबु फैसल को पचास हजार रुपया प्रतिमाह की आमदनी है। अगर मेरी बेटी एरम परवीन को बीस से पच्चीस हजार रुपया प्रतिमाह ईलाज और भरण पोषण के लिए मिल जाए तो मेरी बेटी का भरण पोषण और ईलाज हो सकता है। न्यायालय द्वारा पुछे गये प्रश्न के उत्तर में इस गवाह का कहना है कि मेरी बेटी एरम परवीन विगत अढाई वर्ष से मेरे घर में रह रही है। विपक्षी अबु फैसल की आमदनी के बारे में मैने जो सूची के साथ दाखिल किया है, जो मैने अबु फैसल के रिश्तेदारों से प्राप्त किया है, जो बिलकुल सही है। विपक्षी अबु फैसल की आमदनी पचास हजार रुपया प्रतिमाह की आमदनी है, यह जानकारी बिलकुल सही है। विपक्षी अबु फैसल के नाम से ही दो मंजिला मकान है। जो किराये पर लगा हुआ है। विपक्षी अबु फैसल ने दुसरी शादी कर लिया है। आवेदिका एरम परवीन शारीरिक रुप से अस्वस्थ भी रहती है।

9. आवेदिका साक्षी संख्या–04 फैयाज आलम ने अपने परीक्षण के दौरान कहा है कि आवेदिका एरम परवीन मेरी बहन है। आवेदिका एरम परवीन की शादी विपक्षी सह पति अबु फैसल के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 12.08.2015 को हुई है। शादी में उपहार स्वरुप दो लाख का जेवर, डेढ़ लाख का फर्नीचर दिया गया था और देन मोहर पचास हजार सात सौ छियासी रुपया तय हुआ था। शादी के बाद एरम परवीन अपने ससुराल गई और

23/9/19

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

Maintenance Case No. 01/2018

लगभग एक महीना तक ठीक से अपने ससुराल में रही। फिर पति अबु फैसल काम करने के लिए सौदिया अरब चले गये। फिर छोटे देवर अबु फैजी, ननद तलब परवीन उर्फ रुबी ननदोई और दो लाख रुपया की मॉग आवेदिका से करने लगे और प्रताड़ित और मारपीट करने लगे। फिर सात–आठ महीना के बार पति वापस सौदिया अरब से आये और एक दिन आवेदिका को गाड़ी से विपक्षी और विपक्षी के माता–पिता लोजितपुर कटिहार आने के कम में कार की दुर्रघटना सुपौल में हो गयी। घटना में सास–ससुर की मृत्यु हो गयी और एरम परवीन की रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ गयी। एरम परवीन का ईलाज हमलोगों ने ही करवा। ईलाज के बाद एरम परवीन अपने ससुराल गई। फिर विपक्षी अबु फैसल ने आवेदिका को मेरे घर के सामने रोड पर लाकर छोड दिया। तब से आज तक विपक्षी ने आवेदिका को देखने तक नहीं आया है। फिर हमलोगों ने किम्नीनल केस किया जिसका केस सख्या जी0आर0 2300/16 है जो वर्तमान में एस0डी0जे0एम कटिहार के न्यायालय में लंबित है। इस गवाह का आगे कहना है कि विपक्षी अबु फैसल को पचास हजार रुपया प्रतिमाह की आमदनी है। विपक्षी को ऑन लाईन बिजनेस है, मकान का भाड़ा भी आता है। विपक्षी बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम भी करता है। अगर एरम परवीन को पच्चीस हजार रुपया प्रतिमाह मिल जाए तो एरम परवीन का भरण पोषण हो सकता है। न्यायालय द्वारा पुछे गये प्रश्न के उत्तर में इस गवाह का कहना है कि आवेदिका एरम परवीन बी0ए0 पार्ट 1 में पढ रही है। आवेदिका एरम परवीन कुल अपने ससुराल में लगभग आठ–नौ महीना तक रही। विपक्षी अबु फैसल तीन भाई है। विपक्षी अबु फैसल ऑन लाईन बिजनेस कैशल विकास योजना का काम करते है। वह बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते है। विपक्षी ठेकेदारी का भी काम करते है।

23/9/19

10. विपक्षी अबु फैसल इस मुकद्में में उपस्थित नहीं हुए तथा इनकी ओर से कोई भी गवाही प्रस्तुत नहीं करवाया गया।

11. अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है, कि आवेदिका की शादी विपक्षी के साथ मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 12.08.2015 को हुई है। जिसमें पचास हजार सात सौ छियासी रुपया देन–मोहर के साथ तय हुआ था। शादी में आवेदिका के पिता ने उपहार स्वरुप दो लाख रुपया का जेवरात और फनीर्चर लगभग डेढ़ लाख रुपया का दिया था। फिर आवेदिका अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने लगी। शादी के एक महीना के बाद विपक्षी सौदिया

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

Maintenance Case No. 01/2018

अरब काम करने चला गया। विपक्षी के चले जाने के बाद आवेदिका का देवर अबु फैजी उर्फ बाबू और ननद तलहत प्रवीण उर्फ रुबी और उसके पति कमल राही बहकावे में आकर दहेज के रुप में दो लाख रुपया की मॉग आवेदिका से करने लगे और भद्दी–भद्दी गालियॉ और प्रताड़ित करने लगे। मॉग पुरा नहीं होने पर वे लोग आवेदिका को मानसिक और शारीरिक रुप से प्रताड़ित करने लगे और जब आवेदिका मॉग की बात विपक्षी से साझा किया तो विपक्षी भी उनलोगों का पक्ष लेने लगा। जब आवेदिका एक महीना बीता ली तो विपक्षी ने आवेदिका से कहा कि वह उसके साथ रोजितपूर कटिहार अपनी बहन के यहॉ चलने को कहा और जब विपक्षी आवेदिका और आवेदिका के सास–ससूर और पति चार पहिया वाहन से कटिहार रोजितपूर के लिए चले तो वाहन सुपौल में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। जिसमें आवेदिका के सास–ससूर का देहांत हो गया और पति को सिर पर चोट आयी और आवेदिका के रीढ़ की हड्डी टुट गयी। फिर आवेदिका को उसके मायके भेज दिया गया। आवेदिका के पिता ने आवेदिका का ईलाज करवाया जिस ईलाज का सारा खर्च आवेदिका के पिता ने वहन किया। इस विवाद के कारण बात तलाक तक पहूँच गयी लेकिन विपक्षी तलाक के लिए सहमत नहीं हुआ। अन्ततः आवेदिका ने दहेज प्रताड़ना और घरेलु हिंसा का मुकद्मा विपक्षी पर कर दिया। सगे संबधियों के हस्तक्षेप से दोनों पक्षकारों के बीच खुला मार्च 2017 में हुआ लेकिन खुला के बावजुद भी विपक्षी आवेदिका का भरण पोषण नहीं कर रहा है। आवेदिका अपने माता–पिता के साथ रह रही है। आवेदिका के आमदनी का कोई जरिया नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में आवेदिका एरम प्रवीण को विपक्षी (अबु फैसल) ने भरण–पोषण से वंचित कर दिया है।

12\. जहॉ तक आवेदिका एरम प्रवीण एंव विपक्षी अबु फैसल के आय का प्रश्न है, आवेदिका एरम प्रवीण का कहना है, कि इनके पास आमदनी का कोई श्रोत नहीं है। आवेदिका एरम प्रवीण का यह भी कहना है, कि विपक्षी पति अबु फैसल बिजली विभाग में ठेकेदारी करते है, पति ऑन–लाईन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी चलाते है। पति को खेतीबाड़ी है तथा पक्का का मकान भी है। सभी श्रोतों से मेरे पति को पचास हजार रुपया प्रतिमाह की आमदनी है।

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner

13. पति का यह पुनीत कर्त्तव्य होता है, कि वे पत्नी को भुखमरी में नहीं जीने दे। पति का यह भी परम कत्तर्व्य है, कि शारीरिक श्रम के द्वारा उर्पाजन कर अपनी पत्नी का भरण–पोषण करें।

ऐसी स्थिति में वर्त्तमान महगॉई को देखते हुऐ एंव विपक्षी (अबु फैसल) की आय को ध्यान में रखते हुए, आवेदिका (एरम प्रवीण) को नौ हजार रुपया (9,000 / –) प्रतिमाह भरण–पोषण के रुप में विपक्षी अबु फैसल (पति) द्वारा मिलना उचित प्रतीत होता है।

14. इस उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुऐ वर्त्तमान भरण–पोषण का मुकद्मा एकपक्षीय निष्पादित किया जाता है।

आदेश

विपक्षी अबु फैसल को निर्देश दिया जाता है, कि वे नौ हजार रुपया (9,000 / –) पत्नी एरम प्रवीण (आवेदिका) को प्रतिमाह प्रत्येक महीना के दस तारीख तक आदेश की तिथि से भुगतान करें।

(लेखापित)

विष्णुदेव उपाध्याय
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कटिहार।
23.09.2019

विष्णुदेव उपाध्याय
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,कटिहार।
23.09.2019

Maintenance Case No. 01/2018

web copy civil court katihar

Scanned by CamScanner